



भारत के लचीले संविधान से बिगड़ती सामाजिक आर्थिक व्यवस्था

समाश्रय यादव

प्रवक्ता— समाजशास्त्र विभाग, गंगा गौरी पी0 जी0 कालेज, रामनगर बैजावारी – आजमगढ़ (उ0 प्र0), भारत

सारांश : प्रस्तुत शोध—पत्र व्यवहारिक अनुसंधान (applied Research) और वर्णनात्मक शोध (Descriptive Research) पर आधारित है जिसका कार्य— सामाजिक नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा मनोरंजन, न्याय, राष्ट्रीय विकास, तथा मानवता की भलाई के लिए किया जाता है। राष्ट्र तथा मानवता के विकास के लिए एक सशक्त संविधान की आवश्यकता है जो सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर आधारित होते हुए अधिकारियों, कर्मचारियों, तथा राजनेताओं पर नकेल कसी जा सके किसान, मजदूर, बुनकरों, जैसे गरीब व्यक्तियों को नागरिक सामाजिक समानता का अधिकार और उन्हें न्याय मिल सके क्योंकि किसी भी देश के विकास में वहाँ के संवैधानिक व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान होता है वही अपनी प्रभुसत्ता के अघार पर अपने राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने तथा विकास का मार्ग प्रसस्त करता है।

कुंजीभूत शब्द— व्यवहारिक अनुसंधान, वर्णनात्मक शोध, सामाजिक नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा मनोरंजन।

स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिसमें नागरिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म निरपेक्षता का अधिकार, आदि मानवतावादी कल्याण अधिनियम बनाया गया की स्वस्थ भारत में हर एक व्यक्ति को उचित न्याय और उसके कर्मों के आधार पर उसको विकास करने का अवसर मिलेगा, लेकिन इस लचीले संविधान के कारण भारत के हर क्षेत्र में विघटनकारी समस्याएँ – चोरी डकैती, लुटमार, भ्रष्टाचार, भूमि की बेदखली घूसगमन, घोटाला आदि चरम सीमा पर है वर्तमान युग में सामाजिक मूल्यों का पतन सभी समाजों की गम्भीर समस्या है, जो आज वैक्तिक विघटन, पारिवारिक विघटन, तथा सामाजिक विघटन तो मूल्यों के पतन के ही विभिन्न परिणाम है, जो कही न कही लचीले संविधान की गलियारों से भी संबन्ध रखता है। वर्तमान मूल्यों के संकट के बारे में प्रसिद्ध समाजशास्त्री सोरोकिन – ने अपनी पुस्तक The Crisis of our. हम में लिखा है वर्तमान विश्व मूल्यों के संकट की कितनी बड़ी समस्या में फँसा हुआ है, जो समाज का बाहरी ढाँचा और आन्तरिक मानस रोग ग्रस्त है इस सामाजिक शरीर का शायद ही कोई हिस्सा ऐसा मिले जो सूजा हुआ और घायल न हो शायद ही कोई ऐसा स्नायु मिले जो सही ढंग से अपना कार्य कर रहा हो।

1—भारतीय समाज व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। इसका तात्पर्य है कि सुखवाद, भोगवाद, और विचलनकारी प्रवृत्तियाँ नैतिक मूल्यों और सामाजिक व्यवस्था को तोड़ती है। उनमुक्त यौनिक आचरण, बेईमानी से धन

का उपार्जन, क्रूरता, व्यक्तिगत लाभ के लिए समूह के साथ धोखा, पद और शक्ति का दुरुपयोग, सत्रियों तथा बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार कर्तव्य हीनता, शोषण की प्रवृत्ति, अनुशासन हीनता, राजनेताओं में भ्रष्टाचार, अधिकारी वर्ग में भ्रष्टाचार, व्यवसायियों में भ्रष्टाचार, कर्मचारियों में भ्रष्टाचार, जहाँ तक जिस सामाजिक पद प्रतिष्ठा एक गरिमा तथा विश्वास किया जाता है। न्याय के साथ धोखा मिलता है आज न्यायमूर्ति में भी रिस्वत लेने के भ्रष्टाचार सामने आने लगे हैं। इसी बात पर श्री सुदर्शन— ने लिखा है "आदमी जब पैदा हुआ उस समय किसी शक्ति ने उसके कान में कुछ बाते कही थी उनमें से एक यह थी कि संसार में तुझ जैसा कोई नहीं है, तू अद्वितीय है।" और आदमी सब कुछ भुल गया और यह नहीं भूला कि वह अपने आपको हर समय हर जगह अद्वितीय समझता है। वह नेक कर्म नहीं करता कि दूसरे लोग भी उसे अद्वितीय समझें।

2—किसी भी राष्ट्र के समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का संबन्ध बहुत गहराहोता है क्योंकि जब समाज विघटित होती है तो वहाँ की निश्चित ही अर्थव्यवस्था टूटती है। संवैधानिक लचीले रवैये से आज भ्रष्टाचार तेजी से दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, गाँव से लेकर केन्द्र—राज्य हर राजनेता अपने पद पर रहते हुए निजी सम्पत्ति खड़ा करने में लगा है, और सरकार भी उनका साथ दे रही है, क्योंकि सारे उद्योगों व संस्थाओं को निजी हाथों देती जा रही है एक ओर विधायक, एम0 पी0 मंत्री के भावनाओं की सोच है आज हम जिस पद पर आसीन हैं, फिर कल उस पद पर आसीन नहीं रहेगें इसलिए मौके का लाभ उठाकर



सरकारी धन को अवैध तरीके से अर्जित कर ले ताकि हमारी अगली कई पिढ़ी के अर्थव्यवस्था बनी रहे। यही दशा हर अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामप्रधान, विधायक, एम0 पी0 तथा मंत्री तक सभी लोग देश के खजाने को लहटने में शामिल है, जब जनता का कोई व्यक्ति इनके खिलाफ आवाज उठाता है या जॉज करायी जाती है, तो पक्के सबूत न मिलने कारण वे दण्ड से बच जाते हैं देश के बड़े-बड़े पूंजी पतियों द्वारा अनेक ऐसे बड़े बड़े अपराध कराये जा रहे हैं। पुलिस, जेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट को खरीदा जा रहा है बात गोपनीय है, संविधान के कानून के सामने अपराध हो रहा है, लेकिन हर शख्स उसको जानते परखते हुए कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, और इस बात की जानकारी मजिस्ट्रेट को भी है लेकिन गवाह और सबूत के अभाव में मुजरिम को छोड़ दिया जाता है। और एक सीधे-साधे इंसान को फँसा दिया जाता है। कानूनी कार्यवाही पुरी की जाती है रहा सवाल भारतीय अर्थव्यवस्था का तो यहाँ पर गरीब, किसान, मजदूर, बुनकर, दिन रात मेहनत करके देश में उत्पादन करते हैं जिसका उपभोग देश में हर वर्ग के लोग करते हैं और उन्हीं के बल पर यह देश चलता है। सभी लोगों को रोटी कपड़ा और मकान नसीब होता है। मौके पर उन्हीं का शोषण और उन्ही पर अत्याचार किया जाता है। हमारे देश के अभिजन लोग उन्हीं के बल पर राज करते हैं उन्ही की कमाई को लूटते हैं।

आज भारत में सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण लचीले संवैधानिक नियम के कारण भारत की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था दिनों-दिन विगड़ती जा रही है देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ, बड़े-बड़े सार्वजनिक उद्योग, कृषि विकास, परिवार नियोजन, सड़क, बिजली, परिवहन, सार्वजनिक संस्थानों का निर्माण किया गया लेकिन ये पुनः निर्माण कार्य ध्वस्त हो रहे हैं। और देश की अर्थव्यवस्था का पुरी तरह से दोहन हो रहा है। जिसका प्रभाव सामान्य वर्ग के किसान, मजदूर, गरीब बुनकरों के ऊपर पड़ रहा है मुद्रास्फीति की असामान्य हाल ने देश के निर्धन वर्ग की नींद उड़ा रखी है ऐसे में सामाजिक व्यवस्था विघटित हो रही है सामान्य वर्ग तथा गरीबों को रोजगार न मिलने के कारण वे चोरी, छिन्ती, डकैती, अपराध के रास्ते पर चल पड़े हैं। दूसरे तरफ हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि भी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का कारण है यह भी सरकार की दोषपूर्ण नीतियाँ हैं, क्योंकि सभी विद्वान यह स्वीकार करते हैं जनसंख्या में अधिक वृद्धि होने से अशिक्षा, अग्यानता, बेकारी, बिमारी, कुपोषण, गन्दगी तथा रुढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलता है।

इन समस्याओं से गरीबी को प्रोत्साहन मिलता है,

जिसका मानदण्ड व्यक्तियों को न्यूनतम जीवन-स्तर की सुविधाएँ नहीं मिलती हैं, कहा जाता है कि "भारत एक धनी देश है, जहाँ के निवासी निर्धन हैं।

3- यहाँ पर सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता और व्यक्तियों में पर्याप्त कार्यकुशलता का अभाव होने के कारण उनका जीवन स्तर बहुत नीचा है।

आज सभी प्रबुद्ध व्यक्ति मानते हैं कि भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से नीचे की ओर फैलता है। जब तक किसी देश की राजनीतिक संस्थाएँ भ्रष्ट नहीं होती तो, भ्रष्टाचार सामान्य अधिकारियों कर्मचारियों में नहीं फैल पाता भारत में भ्रष्टाचार बोफोर्स काण्ड, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा रिस्वत काण्ड, हर्षद मेहता काण्ड, यूरिया घोटाला, चीनी घोटाला, 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला काण्ड आदि से भारत की अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी छति हुई आज राजनीतिक भ्रष्टाचार ही आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधियों में सबसे बड़ा रोड़ा बना है क्योंकि डॉ सदरलैण्ड- का कथन है कि भ्रष्टाचार की स्थिति में दण्ड देने वाला व्यक्ति अपराधियों की उच्च सामाजिक स्थिति तथा बड़े बड़े अधिकारियों तथा मंत्रियों तक उनकी सॉट-गॉट देखकर उन्हे दण्ड देने का साहस नहीं कर पाते।

4-इन गतिविधियों से पता चलता है भारतीय संविधान की रचना में जो लचीलापन है अपराधी कानून के फंदे से बार-बार बच जाता है वह अपराध करता रहता है।

सामान्यीकरण- प्रस्तुत शोधपत्र में भारत के इस लचीले संविधान से सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था के बिगड़ती हुई दशा दिखाई दे रही है, क्योंकि समाज में अपराध, भ्रष्टाचार, शोषण, तथा गरीबी, बेरोजगारी, बड़ी तेजी से बढ़ रही है, इसके कारण सरकार के दोषपूर्ण स्वार्थी नीति जो सही दशा में काम करने में सक्षम नहीं रही है। संवैधानिक ढुलमूल नीति के कारण सही निर्णय और निश्चित कदम उठाने में अक्षम है। जिसका देश के हर सार्वजनिक विभाग में चोरी, घुसखोरी, गलत फैसला, भ्रष्टाचार, पेपर का लीक हो जाना, दोषपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएँ, हड़ताल, आन्दोलन, उग्रप्रदर्शन, असंतोष, हिंसापूर्ण मनोवृत्तियाँ आदि दिखाई दे रही हैं।

सुझाव-

- 1- राष्ट्र तथा समाज के लिए एक सशक्त संविधान की आवश्यकता है।
- 2- सत्ता के विकेन्द्रीकरण में अधिकारियों, कर्मचारियों, के ऊपर सरकार का सशक्त दण्ड एवं नियन्त्रण होना चाहिए।



- 3- न्यायधीस को भी स्वतंत्र बाडी की छुट नही होनी चाहिए इनके ऊपर कड़े से कड़े राष्ट्रपति का दण्ड एवं नियंत्रण होना चाहिए ।
- 4- किसी प्रोजेक्ट अथवा योजना के प्रति सरकार की नीतियाँ साफ एवं पारदर्शी होनी चाहिए ताकि समाज के निचले स्तर पर गरीब मजदूर किसान व बुनकरों को इसका डायरेक्ट लाभ मिल सके ।
- 5- जनसंख्या नियंत्रण के प्रति सरकार के कड़े कदम एवं नीतियां होनी चाहिए क्योंकि आज जनसंख्या एक ऐसी घटक है कि जीवन के हर क्षेत्र में बेरोजगारी तथा अर्थव्यवस्था को कमजोर बना रही है ।
- 6- भ्रष्ट व्यक्ति तथा भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्तियों को छतिपूर्ति तथा कड़े से कड़े सजा का प्राक्धान होना चाहिए ।
- 7- संविधान में दण्ड एवं नियंत्रण को लेकर एक संसोधन की आवश्यकता है ताकि समाज के सभी वर्ग को जल्द से जल्द न्याय मिल सके ।
- 8- संवैधानिक व्यवस्था में सभी नौकर साहों के ऊपर तथा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, व संस्थागत व्यक्ति को अधीनस्त होने तथा कानून के प्रति उत्तरदायी होना आवश्यक है गलत कार्य किये जाने पर कड़े दण्ड एवं जुर्माने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

- 9- भारत देश संस्थानों का सार्वजनिकरण, उद्योगों का सार्वजनिकरण शिक्षा संस्थानों, व स्वास्थ्य संस्थानों आदि का सार्वजनिकरण होना चाहिए । उपर्युक्त निर्देश से समाज तथा राष्ट्र के विकास में गरीब व्यक्ति किसान, मजदूर, बुनकर आदि भाइयों को न्याय, शान्ती सुरक्षा, व्यक्तिगत अधिकार, तथा रोजगार के अवसर मिलेंगे जिससे उन्हें कार्य करने की उत्प्रेरणा पैदा होगी फलस्वरूप सामाजिक प्रगति और आर्थिक विकास की दरीया बहेगी और एक सच्चे राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र का विकास ही एक अच्छे समाज की पहचान है ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. पित्ररिम सोरोकिन The Crisis of our age पेज न0 13.
2. श्री सुदर्शन 'मूल्यों के संकट' पेज एस0 बी0 पी0 डी0 पब्लिकेशन हाउस नई दिल्ली समाजशास्त्र पेज 195.
3. समाजशास्त्र : भारतीय समाज : मुद्दे एवं समस्याएँ
4. सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार : भारतीय समाज एवं मुद्दे व समस्याएँ ।
5. शोधकर्ता का वर्तमान सामाजिक लौकिक अध्ययन ।
